



2026: AHC : 40953-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2937/2026

फैयाज अहमद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: दिवांशु तिवारी, शैलेश कुमार उपाध्याय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अतुल कुमार श्रीवास्तव, जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता), शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी, वकार अहमद

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. (अपर शासकीय अधिवक्ता), प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 30.11.2025 की एफ.आई.आर. को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिससे केस क्राइम नंबर 666/2025, बी.एन.एस. (BNS), 2023 की धारा 191(2), 191(3), 109(1), 352, 351(3), 131, 115(2) के तहत, थाना कोतवाली छिबरामऊ, जिला कन्नौज में मामला उत्पन्न हुआ है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आगे यह तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी अपराध का खुलासा नहीं होता है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता से संबंधित विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द किए जाने योग्य है।
5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता विवादित एफ.आई.आर. में एक आरोपी के रूप में नामित है; यहाँ तक कि जांच के दौरान प्रथम सूचनाकर्ता और घायल सरताज के बयान भी दर्ज किए गए हैं। उक्त बयानों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता फैयाज अहमद के विरुद्ध पूरी घटना की साजिश रचने (मास्टर माइंडिंग) का विशिष्ट आरोप लगाया गया है, और घायल गवाह सरताज ने भी इसी तथ्य को दोहराया है। इसके अलावा, विवादित एफ.आई.आर. के आरोपों और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। अतः, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी* (2017), *नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य* (2021) और माननीय शीर्ष अदालत के हालिया निर्णय (*प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी व अन्य*) में प्रतिपादित कानून के आलोक में विवादित एफ.आई.आर. को रद्द नहीं किया जा सकता है।
6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने के बाद और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों तथा इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता एफ.आई.आर. में नामित आरोपी है और जांच के दौरान दर्ज बयानों में याचिकाकर्ता फैयाज अहमद पर घटना की साजिश रचने के विशिष्ट आरोप हैं, एवं विद्वान ए.जी.ए. व प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत कानून को ध्यान में रखते हुए कि एफ.आई.आर. संज्ञेय अपराध प्रकट करती है, हमारी राय है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता। अतः, इसे रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।
7. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत/नियमित जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथाशीघ्र विचार कर निस्तारण किया जाएगा।
8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



24 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।